रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226047
CG-DL-E-23032021-226047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

सं. 2/2(2)/2011–स्था./केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 91 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 178 की उपधारा (2) के खण्ड (यक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) विनियम 2007 (इसके बाद ''मूल विनियम'' के रूप में उल्लिखित) के संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ**–

   (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (पांचवा संशोधन) विनिमय, 2021 है।

   (ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधनः** सारणी में ''ड्राईवर'' के पद के लिए प्रविष्टि निम्नानुसार होगी:–

पद	पे स्केल/पे मैट्रिक्स में लेवल	केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य लेवल	पद
1	2	3	4
स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड)	लेवल-2 (रु.19,900 –63,200)	स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड)	2

स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	लेवल-4 (रु. 25,500 – 81,100)	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	1
स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I)	लेवल-5 (रु. 29,200 –92,300)	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I)	1

3. **मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधनः** क्रम संख्या 19 में ''ड्राईवर'' के पद के लिए प्रविष्टि निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पद	नियुक्ति का ढंग
19	स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड)	सीधी भर्ती; केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (पांचवां संशोधन) विनियम 2021 के लागू होने की तारीख से ड्राईवर के रूप में कार्य कर रहे सेवा कर्मचारियों को स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा।
19 (क)	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	पदोन्नति
19 (ख)	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I)	पदोन्नति

4. **मूल विनियम के परिशिष्ट-II का संशोधनः**– परिशिष्ट-II के क्रम. संख्या 4 को निम्नानुसार किया जाएगाः–

''4. **स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड):** जिसे 10वीं पास होना चाहिए और वृत्तिक ड्राईवर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जिसके लिए उसके नाम पर विचार किया जा रहा है। उसमें लॉग बुक भरने और रिकॉर्ड रखने की योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमाः: आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।''

5. **मूल विनियम के परिशिष्ट-III में संशोधनः**– परिशिष्ट-III के क्रम स. 13 के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः–

क्र.सं.	पद	पे स्केल/पे मैट्रिक्स में लेवल	अर्हकता तथा अनुभव की किस्म	अर्हक सेवा
	1	2	3	4
14	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II)	लेवल-4 (रु. 25,500–81,100)	-	सातवीं सीपीसी पे–मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-2 में तथा ग्रेड में नियमित सेवा के 09 वर्ष के साथ स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) (ड्राईवर के पूर्व पद में दी गई सेवा सहित) और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास होना चाहिए।

15	स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I)	लेवल-5 (रु. 29,200–92,300)	-	ग्रेड में नियमित सेवा के 06 वर्ष या स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा सहित सातवीं सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-4 में स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड) (ड्राईवर के पूर्व पद में दी गई सेवा सहित); और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास होना चाहिए।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा-/548/2020-21]

टिप्पण:

क. मूल विनियम जो तारीख 31 जुलाई, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, संख्या 156 में प्रकाशित किए गए।

ख. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2013 जो तारीख 03 अप्रैल, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, संख्या 94 में प्रकाशित किए गए।

ग. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2015 जो तारीख 04 दिसंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, संख्या 384 में प्रकाशित किए गए।

घ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (तृत्तीय संशोधन) विनियम 2016 जो तारीख 28 मार्च, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, संख्या 110 में प्रकाशित किए गए।

ङ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) विनियम 2019 जो तारीख 14 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, संख्या 211 में प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2021

No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC.—In exercise of powers conferred under Clause (za) of sub-section (2) of Section 178 read with sub-section (3) of Section 91 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Electricity Regulatory Commission withthe approval of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

1. **Short title and commencement:-**

   (i) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff)(Fifth Amendment) Regulations, 2021.

   (ii) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:-** Entry for thepost of ‘Driver’ in Table shall be substituted as under:

Post	Pay Scale/ Level in Pay Matrix	Equivalent Level underthe Central Government	Posts
1	2	3	4
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	Level- 2 (Rs. 19,900-63,200)	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2
Staff Car Driver (Grade-II)	Level- 4 (Rs. 25,500-81,100)	Staff Car Driver (Grade-II)	1
Staff Car Driver (Grade-I)	Level- 5 (Rs. 29,200-92,300)	Staff Car Driver (Grade-I)	1

3. **Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations:-** Entry for thepost of 'Driver' at Sr. No. 19 shall be substituted as under:

Sr. No.	Post	Mode of appointment
19	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	Direct Recruitment; Members of service working as Driver on the date Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 come into force will be redesignated as Staff Car Driver (Ordinary Grade)
19 (A)	Staff Car Driver (Grade-II)	Promotion
19 (B)	Staff Car Driver (Grade-I)	Promotion

4. **Amendment to Appendix-II of Principal Regulations:-** Sr. No. 4 ofAppendix-II shall be substituted as under:-

"4. **Staff Car Driver (Ordinary Grade):** Must have passed 10th standard and having three years' experience as a professional driver and be licensed to drive the class of vehicle for which he is being considered. He must be able to maintain log books and records.

Age limits: The age of the applicant should be between 18 and 25 years as on the date of advertisement of the vacancies. However, usual age relaxation will be admissible to SC/ST/OBC, etc. as per Government Orders in force."

5. **Amendment to Appendix-III of the Principal Regulations:-** After Sr. No. 13of Appendix-III, the following shall be inserted:

Sr. No.	Post	Pay Scale/ Level inPay Matrix	Qualification and Nature of Experience	Qualifying Service
	1	2	3	4
14	Staff Car Driver (Grade-II)	Level- 4 (Rs. 25,500-81,100)	-	Staff Car Driver (Ordinary Grade) **(including service rendered in the erstwhile**

				post of Driver) in Level-2 as per 7th CPC pay matrix with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.
15	Staff Car Driver (Grade-I)	Level- 5 (Rs. 29,200-92,300)	-	Staff Car Driver Gr. II in Level-4 as per 7th CPC pay matrix with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) **(including**
				service rendered in the erstwhile post of Driver); and have passed the trade test, specified by the Government.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.III/4/Exty./548/2020-21]

Note:-

a. Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 156.

b. Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (First Amendment) Regulations, 2013 were published on 3rd April, 2013 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 94.

c. Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Second Amendment) Regulations, 2015 were published on 4th December, 2015 in

Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 384.

d. Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016 were published on 28th March, 2016 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 110.

e. Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2019 were published on 14th June, 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 211.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.23 22:06:42 +05'30'